संख्या-15/84/92-का-4-2007

प्रेषक,

बी.एन.दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर ।
2. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

कार्मिक अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक : सितम्बर 12 ,2007

विषयः- सम्मिलित प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 1988 के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 19 अक्टूबर, 2006 एवं दिनांक 14 नवम्बर, 2006 के क्रम में आपको यह अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है कि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा पुनरावंटन के द्वारा प्रेषित की गयी संस्तुतियों में परीक्षणोपरान्त कतिपय परिवर्तन कर दिये गये हैं । उक्त परिवर्तन निम्नवत् हैः-

कमांक	नाम/ अनुकमांक	श्रेणी	मूल पदावंटन/ प्रतीक्षा सूची से पदावंटन	पुनरावंटन	पुनरीक्षित संस्तुति
1.	देवेन्द्र सिंह 01037	भूतपूर्व सैनिक	उपनिबन्धक	कोई पद नहीं	उपनिबन्धक
2.	प्रमोद कुमार द्विवेदी 25052	भूतपूर्व सैनिक	सहायक श्रम अधिकारी	सहायक श्रम अधिकारी	उपनिबन्धक
3.	गौतम गिरि 51389	सामान्य	सहायक श्रम अधिकारी	कोई पद नहीं	सहायक श्रम अधिकारी
4.	पुनीत कुमार 10556	सामान्य	उपनिबन्धक	उपनिबन्धक	कोई पद नहीं
5.	सुनील कुमार सिंह 7920	सामान्य	उपनिबन्धक	उपनिबन्धक	कोई पद नहीं

2. उपर्युक्त के संबंध में अनुरोध है कि श्री देवेन्द्र सिंह तथा श्री गौतम गिरि, जिनकी सेवायें समाप्त करने के निर्देश दिये गये थे, को आयोग की पुनरीक्षित संस्तुति के आधार पर संस्तुत किये गये पदों पर कार्यभार ग्रहण कराने का कष्ट करें । श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी के आवेदन प्रपत्रादि संबंधित विभाग से प्राप्त करते हुए, उन्हें पुनरीक्षित संस्तुति से संबंधित पद पर कार्यभार ग्रहण कराने का कष्ट करें । चूंकि श्री पुनीत कुमार एवं श्री सुनील कुमार सिंह को पुनरीक्षित संस्तुति के अनुसार कोई पद आवंटित नहीं हो सका है, अतः समसंख्यक शासनादेश दिनांक 19 अक्टूबर, 2006 एवं दिनांक 14 नवम्बर, 2006 के प्राविधानानुसार उनकी सेवायें समाप्त करने का कष्ट करें ।

3. कृपया उपर्युक्तानुसार समस्त कार्यवाही शीघ्र सम्पादित करते हुए, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा कार्मिक विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(बी.एन.दीक्षित)
विशेष सचिव

संख्या-15/84/92(1)-का-4-2007, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-115(1)/2/सी-3/91-92, दिनांक 16 मार्च, 2007 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

आज्ञा से,

(बी.एन.दीक्षित)
विशेष सचिव